(35)

To,

PRIME MINISTER'S OFFICE The Hon'ble Prime Minister of India,

2 4 JAN 2025

Cabinet Minister, Department of Personnel & Training,

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension,

Government of India, North Block, New Delhi, 110001.

Subject: – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.
 2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.LS. No.- 24911870 on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

ruined our precious time and money to engaged in this case for almost 3 years for no reason. Now, The case has been decided by Hon'ble 1st Civil Judge, Senior Division, District & Sessions Court, Baikunthpur, District - Koriya (C.G.), vide Order (Decree) dated :- 16/12/2024 with Succession Certificate.

Kindly sir, look into this matter seriously and give directions to concerned authority, to consider the case of "indirect dependent employment on compassionate ground" of the applicant's younger son and initiate appropriate steps in this regard as per S.E.C.L. rules. Hence, we appeal before the authority, many times but it's about three years nothing had been done, because of the pending Succession Case No. 03/2022 in the Court of "1st Civil Judge, Senior Division", "District & Sessions Court, Baikunthpur, District - Koriya (C.G.)" to provides support to our family that, currently suffering from poor mentally unstable and economically backward conditions. Impart natural justice to a needy & poor family of mine as per S.E.C.L. rules and for that act of kindness I shall remain highly obliged.

Thanking you

SUShila By Applicant

Place: Churcha Colliery

Date: 24 / 01/ 2025

Name - Mrs. Sushila W/o Late Banshi,

Naik, Age - 56 Years,

Address - Q. No. 606, East Nepal Gate,

Churcha Colliery, P.O. & P.S.- Churcha,

District - Koriya, Chhattisgarh, 497339.

Mob. No.- 9399731638, 8770351441.

Annexures: -

- Death Certificate of the deceased employee.
- Service Sheet details of the deceased employee.
- Form B details of the deceased employee.
- 4. Office Order of S.E.C.L. Churcha Mine (R.O.), dated-02.12.2021.
- 5. Succession Certificate with Order (Decree) of Competent Court, dated- 16.12.2024.
- Application Letter No. 4230,4231, dated-15.01.2022.
- Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.
- Order Copy of WPS No. 3901/2024, dated- 15.07.2024 of Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.).

Copy to: -

- 1.) Sub Area Manager, S.E.C.L., Churcha Mines (R.O.), District Koriya (C.G.)
- 2.) Area Personnel Manager, S.E.C.L., Baikunthpur Area, District Koriya (C.G.)
- 3.) Area General Manager, S.E.C.L., Baikunthpur Area, District Koriya (C.G.)
- 4.) Director (Personnel), South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (C.G.)
- 5.) Chairman-Cum-Managing Director, South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur(C.G.)
- 6.) Chief Vigilance Officer, South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur (C.G.)
- 7.) Chairman-Cum-Managing Director, Coal India Limited, Kolkata (W.B.)
- 8.) Director (Personnel & Industrial Relations). Coal India Limited, Kolkata (W.B.)
- 9.) Chief Vigilance Officer, Coal India Limited, Kolkata (W.B.).





छतीसगढ़ शासन GOVERNMENT OF CHHATTISGARH वित, योजना, आर्थिक एवं सांहियकी विभाग DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS नगर पालिक निगम रायपुर MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR



मृत्यु प्रमाण-पत्र DEATH CERTIFICATE

(कन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 की धारा 12 / 17 तथा छतीसगढ उच्च मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE CHHATTISGARH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2001.)

पुर प्रमाणित किया बाता है निस्तिखित सुष्टन मृत्यु के मूल अभिलेख से ती गई है जो कि नगर पानिक निगम राषपुर तहसील राषपुर जिला राषपुर राज्य/संघ प्रदेश छतीसगढ़,भारत के रजिस्टर में डलिस्डिन हैं।

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR OF TAHSIL/BLOCK RAIPUR OF DISTRICT RAIPUR OF STATE/UNION TERRITORY CHHATTISGARH, INDIA.

नृतक का नाम / NAME OF DECEASED : अनर कुमार नायक / AMAR KUMAR NAIK

आधार नंपर / AADHAAR NO.: XXXXXXXXX0700

की निधि / DATE OF DEATH: मृत्यु का उत 01-11-2021

FIRST-NOVEMBER-TWO THOUSAND TWENTY ONE

मृतक की उस / AGE OF DECEASED:

माना का नाम / NAME OF MOTHER; सुरोतना / SUSHILA

BETHE FIRE / MOTHER'S AADHAAR NO. :

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH: 606. WARD NO 06 PURM NEPAL GATE CHARCHA. SHIVPURI CHARCHA, BAIKLINTHPUR, BAIKUNTHPUR, KORIYA, CHHATTISGARH- 497339 वार्ड न-४६ पूर्वी नेपाल गेट पूर्वी. शिवारी प्रकार वेबाुग्ठपुर, वेबाुग्ठपुर, कोरिया,

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO:

D-2021: 22-90434-012613

दिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH: राजकुण्या केयर मेडिकल साइस रायपुर /RAMAKRISHANA CARE MEDICAL SCIENCE

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:

STUTE HAT / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:

चिता का जान / NAME OF FATHER: स्व वंशी नायक / LATE BANSHI NAK

अस्पार अपर / FATHER'S AADHAAR NO. :

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED :

606, WARD NO-06 PURVI NEPAL GATE CHARCHA, SHIVPURI CHARCHA, BAIKUNTHPUR, BAIKUNTHPUR, KORIYA, CHHATTISGARH- 497339

बैकुण्डपुर, बैकुण्डपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़- 497339

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION;

11-11-2021

जारी करने वाला पाधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) REGISTRAR (BIRTH & DEATH) MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR नगर पालिक निगम रायपुर

जारी करने की निवि / DATE OF ISSUE: 11-11-2021

UPDATED ON:



"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY" THE GDVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOUCMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.

• प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिरिषेत करें / ENSUREREGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH*



South Eastern Coalfields Limited SERVICESHEET

	Nemoinfull SHREE AMAR NAIK
	Pamers Name AATE BANSHI NOW
	Dirth's Place CHURCHA Place CHURCHA Village
	PO CHURCHA COLLEGE CHURCHA COLLEGE
	District KOREA State C- G.
	NEIS No. 24911870
	Permanent Address VILL: - GANGAPUR -2
	AT. PO MUNISHPENTHO, POTLAMPUR
	DISIT - GANJAM - ORRISA
į	Nationality IN DI AN SCIST
į	Date of first appointment 25 - 02 - 2015 Designation TRAINEE (U.G.)
ì	Dole of Birth 10.01:1986 , in words TEALTH OF TANDARY NINET-
-	Personal marks for indentification ONE HEALED WOUND SCAR MARK OVER KNEE.
	Left hand thumb and finger impression of the emplyoee:
	Index Finger Midule Finger Ring Pager Little Finger
	HeightftinchesProvident Fund No
	Brief particulars of the previous service in any Organisation counting towardsgratuity and their
	verification.
	Thurst impression
	Signature of employee
	1 danta
	G cm 2 13/16
	प्रबंधक (कार्मिक)
	Signature of Co-employee as witness Signature of Attesting officer Manager (Personnel)
	Disignation
	Termination of ServiceDate ofand reason for
	Amount of gratuity given (in words)
	Signature of officer closing register
	Designation
	No. No.

(3) Bacheor's Degree			Control of the Contro	
SI.No.	Outies	Date	Examining Officer	Remarks
1) 31	amily Parti MT. SUSHI ST STATE TO TO GATA	1245 Dos	MOTHER 5	2 y early. 2 y early. 2 y early. 3 (8.0.) 2 y early. 3 (8.0.) 4 (8.0.) Churcha (8.0.)

Details of Employment and Charges on the SECL

Officer or	Capacity in which	Pay	1111111	ite	Office order or	Intial of officer
Station	employee	· ay	From	To	other authority	-
0	स्नेशिय कार्थिक छ	लाटाक	اله	इतुर	क्षेत्र हार हार	नि अस्त
	उनादेश भूमांवर ।	46-5-	69.72	5-127	1 35/37 m	5 /43 P2015
	241 Rolley 19	3 . 2.	2015	南	पहल जा 3	समार क्रमार
97100	निष्कु अग्रिक	CAR	क्षेश्	OTIZ A	के का आ।	ने व राहा
	भौड़ना के तहत	প্রহি	ष्म, С	ity)) 3 9G 4K	173
100	केकल पर भेगरे	1 34	क्षेत्रियं	Yek	वार्ड, चरवा ?	शाह हा।
	पदस्य किथा	2				

(किंगिक) कार्क सिंहत अपि अभर अभार नाम्म का० २००भी किंगीनामड़ (किंगिक) कार्क सिंहत अपि अभर अभार नामम का० २००भी किंगीनामड़ (किंगिक) कार्क की व्यवसामिन अधिमित हेटी भुरुक प्रेंगिक (किंगिक) विकास की व्यवसामिन अधिमित हेटी भुरुक प्रेंगिक (किंगिक) विकास की व्यवसामिन अधिमित हेटी भुरुक प्रेंगिक (किंगिक) उपरिचानि अपि जेंद्र अस्ति किंगी

South Eastern Coalfields Limited

FORM'B'

See Rule 48	,51,77,	and	77A(2))
-------------	---------	-----	---------

		- A		1-	
1-	Serial No.	SK-	15	13	65

2. Name and surname of the employee

Toi Homas Kunds


3- Father's name or Husband's Name Natic Sx. Late Banshi Nayak

Age and sex. 29 yrs C1 month 02 dilys

200 - 10.01.1986 (Asper Form)

No and date of the cartificate if any held under

the Mines Vocational Training Rules 1966



(b) Nature of emp'oyment (whether above or below ground and if above ground whether in opencast working or otherwise)

U.G.

7- Home address of the employee, giving village. FINE - 606, Cast Negal gate Thana, post Office and District.

At 2 po- churchs cellies y sea Distr-Kerca (C.G.) Upraso 40

8- Date of commencement of employment.

24-12-2015

Date of appointment, with the present owner. 25-c2-2015

10- Date of termination or leaving of employment.

11- In case of an adolescent reference to certificate of fitness granted under Section 40.

Dest and oil 11) 2024

12- Mark of Identification on the body.

SEAT MATIC OVER KNEE Right in

13- Name address relationship of person to be Cart. Sushila , mither. informed in case of accident / emergency.

14- Token number and other particulars by which the emp'oyee, may be identified

15- passport size photograph of the person employed

fister

16- Signature or Thumb Impression of the employee.

rendy appoint as us. (T)
dependent vide letter no-seel

Signature of Manager

South Eastern Coalfields Limited
(A Subsidiary Compaly of Coal Inidia Limited)
(A Govt. of India Undertaking) A Mini Ratna Co.
Office of the Sub Area Manager, Churcha R.O.
PersonnelDepartment, Churcha R.O.



साउथ इंस्टर्न कोलफील्ड्स लिगिटेड (कोल इण्डिया लिगिटेड की एक सहायक कम्पनी) भारत सरकार का उपकम, 'मिनि रत्न कम्पनी' कार्यालयउपक्षेत्रीयप्रवंधक,चरवाअरओ कार्यिक विभाग, चरवा अरओ

Distt. : Korea (CG) 497339

जिला-कोरिया (छ.ग.) ४९७७३३९

क्रमांक- सीएच(आर०ओ०)/सक्षेप्र/काप्र/2021/3009

दिनाँक 01.12.2021

कार्यालय आदेश

मृत्यु प्रमाणपत्र (जन्म—मृत्यु) नगर पालिक निगम रायपुर(छ०ग०) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 18.11. 2021 की छायाप्रति सिहत आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2021 संलग्न करते हुए श्रीमती सुशीला माता स्व० अमर नायक द्वारा सुचित किया गया है कि उनके पुत्र स्व० अमर नायक आ० बंसी नायक एनईआईएस कमांक 24911870, पदनाम—जनरल मजदुर केटे01, चरचा माईन आर0ओ० की मृत्यु दिनांक 01.11.2021 को हुई है। कार्यालय द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्युप्रमाणपत्र को आनलाईन के माध्यम से सत्यापित किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर स्व० अमर नायक आ० बंसी नायक एनईआईएस कमांक 24911870,पदनाम—जनरल मजदुर केटे01, चरचा माईन आर0ओ० का नाम दिनांक 02.11.2021 से कंपनी

01	ल से हटाया जाता है। कर्मचारी का नाम/पिता का नाम	स्व0 अमर नायक आ0 स्व0 बंसी नायक
		24911870
02	एनईआईएस कमांक	10.10.1986
03	जन्म तिथी	25.02.2015
04	नियुक्ति तिथी	
05	'बी' फार्म न0ं	डीआर-15/365
06	सीएमपीएफ नं0	बीएलपी / 70 / 1735
07	अंतिम कार्य दिवस	17.07.2021
08	मृत्यु तिथी	01.11.2021

स्व0 अमर नायक आ0 बंशी नायक एनईआईएस कमांक 24911870,पदनाम—जनरल मजदुर केटे01, चरचा माईन आर0ओ0 के आश्रित को सलाह दिया जाता है, कि यदि कंपनी का कोई सामग्री/बकाया (मेडिकल कार्ड/स्टोर सामग्री) इत्यादि हो तो संबंधित विभाग को सुपुर्द कर "कोई बकाया नही प्रमाणपत्र" प्राप्त कर कंपनी से मिलने वाली राशि के लिए दावा प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी सलाह दिया जाता है कि कंपनी के प्रावधानों के अनुसार आश्रित को मिलने वाली रोजगार/ रोजगार के बदले मिलने वाली आर्थिक क्षतिपुर्ति राशि बाबत् आवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके।

महाप्रबन्धक(खनन) / उप क्षेत्रीय प्रबन्धक, १० चरचा माईन (आर0ओ0)

वितरण:-

- मुख्य प्रबंधक (खनन)/खान प्रबंधक, चरचा माईन(आर०ओ०)।
- 2. मुख्य प्रबन्धक (वित्त), चरचा आर०ओ०।
- 3. प्रबन्धक(कार्मिक), चरचा माईन (आर०ओ०)।
- सीएमपीएफ / पेंशन सेल, चरचा माईन(आर०ओ०)।
- श्रमशक्ति लिपिक चरचा माईन(आर0ओ0)।
- संबंधित बिलिंग क्लर्क, चरचा माईन(आर0ओ0)।
- 7. समयपाल, चरचा माईन(आर०ओ०)।
- सेवापुस्तिका।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक, एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र।
- 2. क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक, एसईसीएल बैकुण्ठपुर क्षेत्र।
- प्रभारी पद्धति विमाग, बैकुण्ठपुर क्षेत्र।

yîn,

लीमान् उपहेलीय प्रवेधक महौदयः सस्तर्क्तिकस्ति परचा आरठऔर।

आवक जावक विभाग गर्मकः 1230 ---157 वंगि 22 चरवा मार्डन आर.ओ.

विन्य:- आवेदिका के पुत्र अगर हमार नावक के स्वान पर हुरत हुगार नाव पुत्र की नौकरी दिये जाने बाबद»

महोदय,

सविनय न्यु निवेदन है कि आवेदक सुशीला पति विश की नायक जाति वेपित, निवास परचा कालरी, तहावेदुंद्धिर, कोरिया उठमा की निवासी है, आवेदिका का पुन अमर कुमार नायक आठ स्वाकी नायक स्सार्वकरी उपस्का परचा कालरी वेदि में केटगरी। जनरस मजदूर के पद पर कार्यरस था, जिसका सेवाकास के दौरान ही दिनाक 1/11/021को नियन हो गया है, मेरे पुन स्वा अमर कुमार नायक के दिधान पर छोटा पुत्र सूरज कुमार नायक को अनुकंपा नियुक्ति नौकरी पुदान कराना था छती हूं।

अतः निषेदन है कि आयेदिका के पुत्र ह तूरण कुमार नायक को अनुकैया नियुक्ति दिये जाने कीफ्या हो ॥

Tento 1//01/022

संलबन:-

भयथपत्रमूलतः

Sashila Economico.

्रेतुवीलापीत स्थावंती नायकः निग्न परचा कालरी, तटावेतुं पुर, कोरिया छ १२१० • प्रति,

शीमान् उपक्रीय पृथ्येक महोदय, स्ताव्दंवतीवस्तव वरचा आरवजीव -

ापक जावक विभाग 11/23/ 15/01/22 चरचा गार्डन आर.ओ. विन-497339

विक्य:- आयेदक को उसके भाई के स्थान पर अनुकंपा निम्नावित प्रधान

महोदय,

स्वित्यानम् निवेदन है कि आवेदक तरण हुमार नायक आठ स्वा वेशी नायक निवास चरचा कालरी, तहावैबुंट एर, भीरत ठ०न० का हूँ, तथा भेरा भाई अवर हुमार नायक स्सव्ह व्ही वस्तवपरचा कालरी में केटेनरी । जनरल मजदूर के पद परवर्षक कार्यरत था, जिसका सेवाकाल के दौरान ही दिनांक 1/11/02 को निध्न हो गया है, में, अपने भाई स्वव्यमर हुमार नायक के स्थान पर कालरी में अनुकेंग निश्चित नीकरी प्राप्त करना चाहता है

अतः निवेदन हिंक आवेदक को उसके माई के स्थान पर अनुकंपा , निद्वत्वि दिये जाने की दया हो।

दिनकिः 14 /01/022 रीतमाः

सपथपं

Suaj Naik

है तरण कुमार नायक है आप रहाएकेशी नायक, निधास यस्या कालरी, तहाकेकुँगुर, कोरिया मागाः लेवा में,

आवक जावक विभाग

अवक जावक विभाग

क्रीमान सहसेन प्रबंधक महोदरा, एस• ई• सी• एल, वेंबुव्हपुर दोन, चरना (आर्- औ•), मिला - केंरिगा।

विषय:- अनुक्रम्ण नियुन्ति हेतु संबंधित इस्तावेजी की जमा करने हेतु

महोदय,

निवेदन हैं छि स्वा अमर बुमार नायक आ रव बंशी नायक न्यरना वेस्ट , ८०४-1 के पह पर कार्यरन थे, जिनका एमर है आई एस मंब १५ वर्ग वेस्ट , ८०४-1 के कारण कार/11/2021 को उनकी मृत्यु हो अदि , जिस्के कारण हर की आर्थिक स्थित अत्यंत रवप से खराब हो अदि हैं। दिनोंक 15/61/2022 को आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हें डमवेदन प्रस्तुत किया अया था, तत्पश्चात नियुक्तिसे संबंधित हस्तावेनों की जमा करने की आवश्चकता है।

अतः भीमान भी से निवेदन है फि आवेदन के अनुकरणा के के नियुन्ति संबंधित दर्गावेजी की जमा करने की महान कृपा करें।

धन्यवाह

Smaj Naik

Terlin - 02/03/2022

पुरज बुमार नायक प्राट स्व. श्री वंजी नायक जिवसः – प्रवी नेपाल ग्रेट, यखा कॉलरी, थाना - यस्मा तहसील-भेकुव्हपुर, क्रोरिया (द्व.ग्रह)

Government of Chhattisgarh





District : Koriya

Date & Time :20-DEC-2024 12:34:01

Establishment: Chief Judicial Magistrate, Koriya

Stockholding Reference No:

EPSCT2001123412136694

Party Transaction No:

CCGKY0220245907L

Name of litigant:

Sushila

e-Court Fee Receipt No :

CGCT2006L2438M651

e-Court Fee amount:

Rs. 7800

(Rupees Seven Thousand Eight Hundred And Paise Zero Only)



CGCT2006L2438M651

Statutory Alert: The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is required to be verified & locked by the Court official for further process in the Court.

Diary No. 77

Varified & Lockes

उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 03/2022 पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति

क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, SECL वगैरह में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत न्याय शुल्क

(सीक्षी दीक्षित)

प्रश्**मका कार्यस्य साधीश**्चरिष्ठ श्रेणी वैक्**रियप्रश्राजिला** कोरिसा (छ. ग.)

Syshila.

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कोरिया (बैंकुण्ठपुर) छ ० ग ०

स्टाम्प संख्याः कुल ई-स्टाम्प मूल्य :- 7800/- उत्तराधिकार प्रक.क्र. – 03/2022 विविध अपील क्रमांक –

-: 0: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: 0: -

 श्रीमती पूजा नायक उर्फ काजल नायक पति स्व. श्री अमर कुमार नायक, उम्र 23 वर्ष, निवासी नेपाल गेट चरचा कॉलरी, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

....आवेदिका

विरुद्ध

- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक महोदय, एस.ई.सी.एल. कार्यालय सहक्षेत्र प्रबंधक चरचा माईन, आर.ओ. पोस्ट चरचा कॉलरी, जिला – कोरिया (छ.ग.)
- महाप्रबंधक महोदय, एस.ई.सी.एल. बैकुंठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)
- मुख्य महाप्रबंधक महोदय, एस.ई.सी.एल. कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- श्रीमती सुशीला पति स्व. वंशी नायक, उम्र 50 वर्ष,
 निवासी नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तहसील बैकुंठपुर जिला–कोरिया (छ.ग.)
- 5. सर्वसाधारण

...... अनावेदकगण



(साक्षी दीक्षित)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया, (छ.ग.)
प्रथम व्यवहार न्यायाधा वर्षेल श्रेणी
विकृण्ठपुर,जिला-कोरिया (छ.ग.)

-: ः प्रतिमृतियाँ: ः -

豖.	संख्या	वर्णन		
	प्रतिभूति का सुभिन्नक संख्यांक या अन्नर	प्रतिभूति का नाम शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति का रकम या समतुल्य	प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र की तारीख की प्रतिभूति का बाजार मूल्य
1	2-	3-	4-	5-
-		1000		
1	स्व० अमर कुमार	मृतक स्व० अमर कुमार नायक आ०	कुल जमा राशि 1,71,000/-	कुल जमा राशि 1,71,000/- (एव
-	नायक आ० स्व. श्री बंशी नायक निवासी ग्राम गंगापुर -2, पोस्ट-एनिसपेंठो, पोटलमपुर, जिला गंजम ओडिशा हा.मु. 606 वार्ड नं. 06, पूर्वी नेपाल गेट चर्चा, शिवपुरी चर्चा, बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)	स्व. श्री बंशी नायक की अनावेदक क्र० 1 से 3 के समक्ष सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार रूपये) को अनावेदिका क्रमांक 04 सुशीला को देय	(एक लाख इकहत्तर हजार रूपये) देय ।	लाख इकहत्तर हजार रूपये) देव ।
	Tanais) and	योग-		जमा राशि 1,71,000/- (एक लार इकहत्तर हजार रूपये) देय ।

चूंकि अनावेदिका क्रमांक 04 श्रीमती सुशीला पित स्व. वंशी नायक, उम्र 50 वर्ष, निवासी — नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तहसील बैकुंठपुर जिला-कोरिया (छ.ग.), मृतक अमर कुमार नायक आ० स्व. श्री बंशी नायक के वैध उत्तराधिकारी है। फलतः उसे अनावेदक क्र० 1 से 3 के समक्ष सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/— (एक लाख इकहत्तर हजार रूपये) को प्राप्त करने हेतु उसके पराक्रमण करने के लिये सशक्त करता है।

आज दिनांक 03/01/2025 को न्यायालय की पद मुद्रा से हस्ताक्षरित कर जारी

किया गया।

स्थान – बैकुण्ठपुर दिनॉक-03/01/2025

> (सांबी दीबित) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बैक्कुणुपुर, जिला-कोरिया, (छ.ग.) इंजुट्युर, जिला-कोरिया,

Copyto 1- (I)

To,

The Sub Area Manager,

South Eastern Coalfields Limited,

Office of Sub Area Manager, Churcha Mine (R.O.),

District - Koriya, Chhattisgarh, 497339.

Subject: - An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late

Banshi Naik, N.E.I.S No. - 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0

of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement - XI, dated-01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.
 2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

To,

The Chairman-Cum-Managing Director,
South Eastern Coalfields Limited,
SECL Headquarters, Seepat Road,
Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.

Subject: - An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.1.S No. - 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement - XI, dated- 01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.

Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you, but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

SECLICMD Dy. No. A. To.

The Area Personnel Manager,
South Eastern Coalfields Limited,
Office of General Manager, Baikunthpur Area,
District - Koriya, Chhattisgarh, 497335.

Subject: – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.

Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you, but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and

To.

The Director (Personnel), South Eastern Coalfields Limited, SECL Headquarters, Seepat Road, Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.

Subject: – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated- 01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.
 2. Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that. I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at – Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge, Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and



To,

The Area General Manager,

South Eastern Coalfields Limited,

Office of General Manager, Baikunthpur Area,

District - Koriya, Chhattisgarh, 497335.

Subject: – An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late Banshi Naik, N.E.I.S No. – 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0 of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement – XI, dated-01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231, dated- 15.01.2022.

Application Letter No. 6005, dated- 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at - Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870 on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proform as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge Class-1, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and



Gptoi-6

To,

The Chief Vigilance Officer,

Office of Vigilance Department,

South Eastern Coalfields Limited,

Seepat Road, Bilaspur, Chhattisgarh, 495006.

Subject: - An application for indirect dependent employment on compassionate ground to applicant's younger son in place of applicant's deceased son Late Amar Kumar Naik, S/o Late

Banshi Naik, N.E.I.S No. - 24911870, as Mentioned in Clause 9.3.0, 9.4.0, 9.5.0

of Chapter - IX of National Coal Wage Agreement - X1, dated- 01.06.2023.

Ref: - 1. Application Letter No. 4230, 4231 dated 15.01.2022.
 2. Application Letter No. 6005 dated 03.03.2022.

Respected sir,

With reference to application letter no. and subject cited above, it is to intimate you sir that, I, Mrs. Sushila W/o Late Banshi Naik, Age – 56 Years, residing at – Q. No. 606, East Nepal Gate, Churcha Colliery, District – Koriya, Chhattisgarh. The matter of concern is that, my elder son Late Amar Kumar Naik S/o Late Banshi Naik, who was working in West Block, Churcha Mine (R.O.), S.E.C.L., Area – Baikunthpur, in the Post of General Majdoor Cat- I, N.E.I.S. No.- 24911870, on compensation ground, after the sad demise of my husband in the year 2014. After that, due to an accident my son got injured and admitted to Ram Krishna Care Hospital, Raipur and during the treatment my son got died, on 01/11/2021 in harness.

After, the sad demise of my elder son, I approached the concerned authority to get some relief to stable our family worse condition and to overcome this disastrous amount of pain, what we have obtained, from the sudden demise of my elder son, who was the only bread earner in the family and our family wholly depends upon his earnings. We, submitted various applications for terminal benefits (various funds), indirect dependent employment of my deceased son, who was nominated me in his service sheet, From-B and in many others proforma as per S.E.C.L. Norms, during his service period, but, the same has not been paid by the "Personnel Managers" of the respective office of Subarea manager, S.E.C.L., Churcha Mine (R.O.), for their own profit cut.

After that, Personnel managers, provides too much troubles for the family of mine, and they did not release any single amount in this regard, saying by their own words with oral statements that, he has wife, so we are unable to pay you. but, they neither have any kind of evidence, legally valid documents nor any names mentioned as a "wife" in my deceased son's service record documents and rejects all the applications related to payment for the same and do not want to listen our plea raised after, my son sad demise. Then, we informed the same in this regard to the higher authorities as well, then "Personnel Managers" perform further process of cessation in my deceased son's terminal benefits with help of that lady, filed one fake civil suit in Section 372 of "Indian Succession Act- 1925" in the court of 1st Civil Judge Class- I, District and Sessions Court, Baikunthpur, District- Koriya (C.G.) and



For Reference Express No./22443/2024 -- e-Court Fee No. CGCT2130H2401L577

Į

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR WPS No. 3901 of 2024

 Suraj Kumar Naik S/o Late Shri Banshi Lal Naik Aged About 30 Years R/o Ward No. 06, Purvi Nepal Gate, Charcha, Post And P.S. Charcha, Baikunthpur District Korea (C.G.), Shivpur, Charcha, District Korea (C.G.)

---- Petitioner

Versus

- 1 South Eastern Coalfield Limited, Through Director, Head Office Seepat Road, Bilaspur (Chhattisgarh)
- 2 General Manager (E And A) South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur (Chhattisgarh)
- 3 Chief General Manager South Eastern Coalfields Limited Baikunthpur Area Baikunthpur, District Korea (C.G.)
- 4 Area Personnel Manager South Eastern Coalfield Limited Baikunthpur Area Baikunthpur District Korea (C.G.)
- 5 Sub Area Manager South Eastern Coalfield Limited, Sub Area Charcha, District Korea (C.G.)
- 6 Dy Personnel Manager South Eastern Coalfields Limited, Sub-Area Charcha, District Korea (C.G.)
- 7 Pooja Parida @ Nayak D/o Satyawadi Parida R/ At- C/o Kangress Pallai, Ward Number 02, Near Gyandeep School, Charchapara, P.S. And P.O. Charcha, District Korea, Chhattisgarh, 497339, Permanent Address Village Modhopur, P.O. And P.S. Chatrapur, Odisa, 761026

--- Respondents

Mr. K.P.S. Gandhi, learned counsel for the petitioner.


Mr. Vinod Deshmukh, learned counsel for the respondent Nos. 1 to 6.

Hon'ble Shri Justice Sachin Singh Rajput, Order on Board

15.07.2024

This writ petition has been filed by the petitioner claiming following reliefs:







- To issue direction to the respondent authorities concerned to produce the entire records pertaining to present writ petiton.
- ii. To issue appropriate writ/writs, orders, direction / directions thereby directing the respondent to consider the case of petitioner for appointment on the ground of compassionate.
- lii. Grant any other relief or pass such other and further orders as may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the present case in the interest of justice.
- 2. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is the brother of the deceased employee namely Amar Kumar Naik who was working as General Majdoor category one with the respondent SECL and he died on 01.11.2021 in harness. He submits that on 14.01.2022, the petitioner made an application for consideration of his case of appointment of compassionate ground and the claim has not been decided as yet.
- 3. Mr. Deshmukh submits that the respondent No. 7 herein who claimed herself the wife of the deceased employee, also made an application for appointment on compassionate ground. It has been further submitted that a case of succession is also pending consideration before the competent Court which is filed by respondent No. 7 against the mother of the petitioner therefore, there is a rival claim and in due course of time after the succession is decided by the competent court, appropriate decision would be taken by the respondent SECL with regard to compassionate appointment either to the petitioner herein or to respondent No. 7.

- 4. Be that as it may, in light of above at present writ petition is dispose of reserving liberty in favour of the petitioner to approach this Court if any cause of action still subsists and any adverse order is passed against him by the respondent SECL while deciding the claim of compassionate appointment.
- With the above liberty, the writ petition is disposed off.

Sd/-(Sachin Singh Rajput) Judge

PAWAN







Express No./22443/2024 -- e-Court Fee No. CGCT2130H2401L577

	(1) Application received on
22/08/2024	(2) Applicant told to appear on
21/08/12	(8) Applicant appeared
21/08/2024	(4) Application (With or without further or correct perticulars) sent to record-room
•	(5) Application received from record- room with record or without record for further or correct particulars on
	(6) Applicant given notice for further or correct particulars on
	(7) Applicant given notice for further funds on
	(8) Notice in column (6) or (7) complied with on
21/08/2024	(9) Copy ready on
21)08KV	(10) Copy delivered or sent on
181	(11) Court-fee realis.

Copyist Comparer

Head Copyist

अर्डिश हिनोंड 16/12/24 वी जमातित अतिविषि



1

पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्निक प्रबंधक, "सर्व्ह०सी०एल चरचा वर्गैः

न्यायालयः – प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० (पीठासीन अधिकारीः – समीर कुजूर)

> उत्तराधिकार प्र.क. - 03/2022 संस्थित दिनांक 14.01.2022 CIS .NO. -20/2023 CNR .NO. CGKY02-000030-2022

 श्रीमती पूजा नायक उर्फ काजल नायक पति स्व 0 अमर कुमार नायक, आयु 23 वर्ष, निवासी-नेपाल गेट चरचा कॉलरी, जिला कोरिया छ०ग०

..आवेदिका

//प्रति//

- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक महोदय, एस०ई०सी०एल कार्यालय सहक्षेत्र प्रबंधक चरचा माईन आर०ओ० पोस्ट चरचा कॉलरी, जिला कोरिया छ०ग०
- महाप्रबंधक महोदय, एस०ई०सी०एल बैकुंठपुर, जिला कोरिया छ०ग०
- मुख्य महाप्रबंधक महोदय, एस०ई०सी०एल कार्यालय बिलासपुर छ०ग०
- श्रीमती सुशीला पति स्व 0 वंशी नायक, उम्र-50 वर्ष,
 निवासी-नेपाल गेट चरचा, थाना चरचा तह 0 बैकुंठपुर, जिला कोरिया छ०ग०
- सर्वसाधारण

.....अनावेदकगण





GP-U-




पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्निक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा वर्गैः

—— आदेश —— (आज दिनांक 16/12/2024 को पारित किया गया)

01- इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत् धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का निराकरण किया जा रहा है।

02- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि स्व 0 अमर कुमार नायक के स्वत्व की ग्रेच्युटी की राशि 1,71,000/-रूपए नियमानुसार सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जमा की गयी है।

03- आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत घारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 संक्षेपतः यह है कि स्व० अमर कुमार नायक आ० स्व० वंशी नायक अनावेदकण क्र. 1, 2, 3 के कालरी प्रबंधन के अधीनस्थ चरचा कालरी में कार्यरत थे, जिनका राम कृष्ण केयर मेडिकल साइंस रायपुर छ०ग० के अस्पताल में ईलाज के दौरान दिनांक 01/11/2021 मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदक क्र 0 1, 2, 3 के कालरी प्रबंधन में पी०एफ० 6,50,000/- रूपये (छः लाख पचास हजार रूपये) एवं ग्रेजुएटी 1.71,000/- रूपये (एक लाख इकहत्तर हजार रूपये) का भुगतान मय ब्याज अनावेदक क्र० 1, 2, 3 के प्रबंधन में भुगतान हेतु लंबित है। उत्तराशि के भुगतान प्राप्तार्थ अनावेदक क्र० 1 के द्वारा आवेदिका को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने को कहा गया है। मृतक की आवेदिका पत्नी है और अनावेदिका क्र० 04 मृतक की







पूजा नामक उर्फ काजल नामक प्रति बैजीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरचा वगैः

मां है। आवेदिका एवं अनावेदिका क० ०४ स्व० अमर कुमार नायक के साथ रहकर उन पर आश्रित होकर एकमात्र उत्तराधिकारी है। मृतक स्व० अमर कुमार नायक के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इस तरह आवेदिका एवं अनावेदिका कमांक ०४ के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर स्व० अमर कुमार नायक की अनावेदक क्र० 1, 2, 3 के प्रबंधन से देय राशि पी०एफ० 6,50,000/- रूपये (छः लाख पचास हजार रूपये) एवं ग्रेजुएटी 1.71,000 /- रूपये (एक लाख इकहत्तर हजार रूपये) मय ब्याज प्राप्त करने हेतु आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया।

04— अनावेदक क्र.01 व 02 का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकरण है कि कामगार स्व. अमर कुमार नायक आ. बंशी नायक के स्वत्यों की ग्रेच्युटि राशि नियमानुसार सहायक श्रम आयुक्त केन्द्रीय रायपुर को 1,71,535/— रूपये दिनांक 11/02/2022 को डी.डी. कमांक 000699 एक्सिस बैंक के माध्यम से भेजा जा चुका है सी.एम.पी.एफ. की राशि सी.एम.पी.एफ. कार्यलय बिलासपुर में जमा होती है जिसका विवरण एवं लेखा जोखा उन्हीं के कार्यालय में संधारित होता है इसलिए इसकी जानकारी उन्हीं से प्राप्त किया जाना चाहिए । कामगार अमर कुमार नायक के सेवा अभिलेखों में श्रीमती सुशीला बाई को माता, सूरज कुमार-भाई कुमारी पुनम-बहन दर्ज कराया गया है, आवेदिका का नाम वारिस/आश्रित/पत्नी के रूप में दर्ज नहीं है। आवेदिका ने उपरोक्त नामित सभी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है । ग्रेच्यूटी राशि सहायक श्रम



CF=4-






पूजा नायक सर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रमंचक, एस०ई०सी०एल चरचा वर्ग

आयुक्त केन्द्रीय रायपुर को 1,71,535/- रूपये भेजी जा चुकी है तथा सी एम.पी.एफ. की राशि सी.एम.पी एफ. कार्यालय बिलासपुर में जमा है, जिसके लिए कामगार अमर कुमार ने उनकी माता श्रीमती सुशीला देवी के पक्ष में नामांकन किया गया है, इस प्रकार अनावेदकों क्र.01 एवं 02 के कार्यालय में ऐसा कोई भुगतान शेष नहीं है तथा कार्यालय में स्व. अमर कुमार नायक के स्वत्वों की किसी राशि का भुगतान लम्बित नहीं है। आवेदिका पूजा नायक का नाम कामगार स्व. अमर कुमार के सेवा अभिलेख में देज नहीं है, इसलिए वह कोई अनुतोष या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। अतः आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

05— अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक अमर कुमार नायक का विवाह नहीं हुआ था, वह अविवाहित था तथा उसके सेवा पुस्तिका में उसकी माता अनावेदिका क्रमांक—04 सुशीला नामित है। मृतक अमर कुमार नायक के अविवाहित होने के कारण आवेदिका का मृतक अमर कुमार नायक से विवाह ही नहीं हुआ है आर न ही मृतक के साथ कभी कोई रिश्ता रहा है, इसलिए आवेदिका मृतक अमर कुमार नायक की उत्तराधिकारी भी नहीं है तथा वह अपने पुत्र अमर कुमार नायक के साथ रहती थी और उसी पर आश्रित थी इसलिए अमर कुमार नायक के मृत्यु के बाद स्व० अमर कुमार नायक की एकमात्र उत्तराधिकारी है। मृतक के चल संपत्ति नगद जमा रकम पी०एफ० 6,50,000/— रूपये (छः लाख पद्मास हजार रूपये) एवं ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/— रूपये (एक लाख एकहत्तर हजार रूपये) मय व्याज



5



पूजा नायक वर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्निक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरचा वर्गः


प्राप्त करने के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी अनावेदिका क्रमांक-04 ही है। मृतक अमर कुमार नाय आ 0 बंशी कुमार नायक द्वारा अपने जीवन काल में एस०ई०सी०एल० कार्यालय में अपने परिवार विवरण में माता सुशीला, भाई सुरज कुमार नायक व बहन पूनम नायक का नाम सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराया गया है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक स्व० अमर कुमार नायक की एकमात्र उत्तराधिकारी है। अतः आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

06- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्यक निराकरण हेतु निम्नानुसार जांच बिन्दु है, जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जाकर निष्कर्ष के आधार पश्चात दिये गये हैं-

क्रमांक	्रांच बिन्दु	निष्कर्ष
01.	क्या आवेदिका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारिणी हैं?	"नासाबित"
02.	क्या अनावेदिका क्र.04 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारिणी हैं?	"अशंत साबित"
03.	सहायता एवं आवेदन व्यय ।	कंडिका 22 के अनुसार

जाँच बिन्दु क्रमांक-01 पर साक्ष्य का क्रमबन्धन तथा विवेचना सहित सकारण निष्कर्ष:-

07- आवेदिका पूजा नायक अपने अपने अभिकथनों के समर्थन में पंजीकृत वैधानिक सूचना प्र.पी.-01, रजिस्ट्री पावती प्र.पी.-02, ट्रैक कंसाइन्मेंट प्र.पी.-03 एवं



CA-U-





पजा नायक सर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरया वर्गः

प्र.पी. -04, महाप्रबंधक एसईसीएल बिलासपुर को प्रेपित सूचना लेने से इंकार की टीप के साथ वापस प्राप्त लिफाफा प्र.पी. -05, आवेदिका का आधार कार्ड प्र.पी. -06, सगाई का मूल प्रमाण पत्र प्र.पी. -07, सगाई प्रमाण पत्र का अंग्रेजी अनुवादी प्र.पी. -08, स्व. अमर कुमार नायक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी. -09, स्टेट बैंक के पासबुक की मूल प्रति प्र.पी. -10, उड़ीसा शासन द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी. -11, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम प्र.पी. -12 जो तीन फर्द में है, फोटोग्राफ प्र.पी. -12 ए, प्र.पी. -13, प्र.पी. -14 तथा निमंत्रण कार्ड प्र.पी. -15 प्रस्तुत की है तथा स्वयं को स्व. अमर कुमार नायक की पत्नी होने के आशय का साक्ष्य दी है।

08— आवेदिका पूजा नायक शपथ पत्र पर यह कथन की है कि स्व. अमर कुमार नायक आ स्व. वंशी नायक उसके पति थे, जो एसइसीएल चरचा कॉलरी में कार्यरत थे, जिनका निधन दिनांक 01.11.2021 को रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में इलाज के दौरान हो गया है। आवेदिका पूजा नायक के अनुसार वह एवं अनावेदिका क्रमांक 04 सुशीला नायक, जो उसकी सास है, स्व. अमर कुमार नायक पर आश्रित होकर एक मात्र उत्तराधिकारी हैं तथा उन दोनो के अतिरिक्त उसके पति का कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। आवेदिका पूजा नायक के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन आवेदक साक्षी अभि प्रधान एवं कंगाली ने भी किया है।






पूजा नायक चर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एत०ई०सी०एल घरचा वर्गः

09— आवेदिका पूजा नायक के अभिकथनों एवं दिए गए साक्ष्य का खण्डन करते हुए अनावेदिका सुशीला नायक, मृतक अमर कुमार नायक को अविवाहित होने का साक्ष्य दी है। अनावेदिका सुशीला नायक के अनुसार स्व. अमर कुमार नायक उसका पुत्र था, जो अविवाहित था तथा अमर कुमार नायक का आवेदिका के साथ विवाह नहीं हुआ है। अनावेदिका सुशीला नायक यह कथन भी की है कि आवेदिका पूजा नायक फर्जी पत्नी बनकर उत्तराधिकार दावा प्रस्तुत की है। अनावेदिका सुशीला नायक के उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन अनावेदक साक्षी शिवराम यादव एवं मंजू ने भी अपने शपथ पत्र पर किया है। अनावेदिका सुशीला नायक यह साक्ष्य भी दी है कि मृतक स्व. अमर कुमार नायक के सेवा अभिलेखों में नॉमिनी के रूप में माता सुशीला नायक, भाई सूरज कुमार नायक एवं बहन पूनम का नाम दर्ज है। इस प्रकार आवेदिका पूजा नायक को स्व. अमर कुमार की वैध विवाहिता पत्नी होना गंभीर रूप से विवादित है।

10— आवेदिका पूजा नायक प्र.पी.—01 से प्र.पी.—10 तक के दस्तावेजों के संबंध में प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार की है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है, जो उसे अमर कुमार की पत्नी होना प्रमाणित कर सकें। उपरोक्त प्रतिपरीक्षण होने के उपरांत आवेदिका पूजा नायक के द्वारा उड़ीसा शासन द्वारा जारी दारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.—11, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम प्र.पी.—12 जो तीन फर्द में है, फोटोग्राफ प्र.पी.—12 ए, प्र.पी.—13, प्र.पी.—14 तथा निमंत्रण



efu-






पूजा नायक चर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरघा वगैः

कार्ड प्र.पी.-15 प्रस्तुत किया गया है।

11— फोटोग्राफ प्र.पी.—12 ए, प्र.पी.—13 एवं प्र.पी.—14 को आवेदिका पूजा नायक द्वारा अपने विवाह का फोटोग्राफ होना बताते हुए प्रदर्शांकित कराया गया है। उक्त फोटोग्राफ को अनावेदिका सुशीला नायक प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 एवं 07 में सगाई का छायाचित्र होना व्यक्त की है तथा आवेदिका पूजा नायक भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में यह स्वीकार की है कि उसके द्वारा पेश किए गए उपरोक्त फोटोग्राफ्स में शादी होना प्रमाणित होने का तथ्य नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 18 में ही यह भी स्वीकार की है कि उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में बारातियों अथवा परिवार के किसी सदस्य का फोटो नहीं है। इसी प्रकार आवेदिका यह भी स्वीकार की है कि उसके समाज में पंडिज जी के द्वारा विवाह कराया जाता है, परन्तु पंडित जी के साथ वाला फोटो प्रस्तुत नहीं करना भी स्वीकार की है। उपरोक्तानुसार स्वयं आवेदिका पूजा नायक की स्वीकृति के अनुसार उक्त फोटोग्राफ्स से उसका एवं अमर कुमार नायक का विवाह होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

12— आवेदिका पूजा नायक के द्वारा प्रस्तुत किया गया उड़ीसा शासन द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी.—11 से परिलक्षित होता है कि उक्त वारिसान प्रमाण पत्र में आवेदिका पूजा नायक को स्व. अमर कुमार नायक की विधवा होना दर्ज है। इसी प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निमंत्रण पत्र प्र.पी.—15 में आवेदिका पूजा नायक एवं अमर कुमार नायक के विवाह का निमंत्रण पत्र होना अंकित है। आवेदिका पूजा नायक द्वारा स्व.






पुजा नायक चर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा वर्गैः

अमर कुमार नायक के साथ उसके सगाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निखिला ओडिशा बन्यता ओडिया समाज के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें दोनों ही पक्षों के व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। विवाह का उत्तम साक्ष्य विवाह प्रमाण पत्र है। जब सगाई होने का तथ्य प्रमाण पत्र में अभिलिखित किया जा सकता है तो यह विचार किए जाने योग्य है कि उपरोक्तानुसार ही विवाह होने के तथ्य अभिलिखित क्यों नहीं किया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब वह सगाई का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है तो विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में किन परिस्थितियों में असमर्थ रही है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में आवेदिका पूजा नायक यह स्वीकार की है कि वारिसान प्रमाण पत्र प्र.पी. –11 किन दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है उसके संबंध में कोई दस्तावेज लेकर नहीं आई है। अतः यह स्पष्ट है कि वारिसान प्रमाण पत्र न तो विवाह के निमंत्रण कार्ड के आधार पर और न ही सगाई के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है। अतः विवाह का तथ्य गंभीर रूप से विवादित होने के कारण तथा यह स्पष्ट नहीं होने के कारण कि वारिसान प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया है, वारिसान प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा सकता है।

13- आवेदिका पूजा नायक, सूचना के अधिकार के अधिनियम संबंध में थाना चरचा द्वारा दिए गए ज्ञापन दिनांक 13.10.2023 प्र.पी.-12 प्रस्तुत की है। दस्तावेजों के प्रदर्शांकन के संबंध में कंडिका 13 में कथन की है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम जो तीन





efce-






पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा वगैः

फर्द में है, प्र.पी.—12 है। यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2023 सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किए जाने का उल्लेख थाना चरचा के जापन में नहीं है। उक्त दस्तावेज में थाना चरचा की सील लगी हुई है, परन्तु उक्त दस्तावेज पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि थाना चरचा को प्रदान नहीं की गई है।

14— अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उक्त दस्तावेज थाना चरचा को किस प्रकार से प्राप्त हुई है तथा थाना चरचा द्वारा पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन किस आधार पर अपनी सील लगाकर आवेदिका को प्रदान किया गया। आवेदिका पूजा नायक द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया से उक्त प्रतिवेदन विधिवत् प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त दस्तावेजों में उल्लेखित तथ्यों की भी पुष्टि आवश्यक है। यद्यपि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन की कंडिका 13 की उप कंडिका में आवेदिका पूजा नायक को अमर कुमार नायक की पत्नी होने के आशय के तथ्य उल्लेखित हैं, परन्तु बैंक में आवेदिका पूजा एवं अमर कुमार नायक के कथित संयुक्त खाता एवं एफठडी० के संबंध में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर कंडिका 13

15- पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ.ग. की शिकायत जांच प्रतिवेदन की कंडिका 13 में गवाह बलराम, पावित्रा एवं अभिप्रधान से पूछताछ करना तथा उनके द्वारा आवेदिका पूजा नायक एवं अमर कुमार नायक का विवाह होना बताए जाने का उल्लेख है।

की उप कंडिका में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि आवेदिका द्वारा नहीं कराया गया है।






11



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरचा वर्गः

आवेदिका द्वारा उक्त बलराम तथा पावित्रा का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा अभिप्रधान का परीक्षण कराया गया है। आवेदक साक्षी अभिप्रधान ने अपने शपथ पत्र में आवेदिका पूजा नायक को अमर कुमार नायक की पत्नी होना बताया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उसके बताए अनुसार नहीं बना है, वकील साहब के बताए अनुसार बना है। साक्षी अभिप्रधान ने यह भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके शपथ पत्र में क्या-क्या लिखा है, उसने शपथ पत्र निष्पादित होने के उपरांत मात्र हस्ताक्षर किया है तथा पूजा नायक के कहने पर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उक्ताशय के सुझाव ही अन्य आवेदक साक्षी कंगाली ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में स्वीकार किया है। साक्षी अभिप्रधान की उक्त स्वीकारोक्ति कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके शपथ पत्र में क्या-क्या-लिखा है, तथ्यों के संबंध में उसके शपथ पत्र में उद्वेखित साक्ष्य की कोई स्वीकार्यता शेष नहीं रह जाती है।

16- आवेदिका पूजा नायक शपथ पत्र पर यह कथन भी की है कि उसके पित स्व. अमर नायक का पी एफ राशि 6,50,000/- एवं ग्रेच्यूटी 1,71,000/- संबंधित संस्था में जमा है, जिसके भुगतान के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका पूजा नायक द्वारा स्व 0 अमर नायक के सीएमपीएफ तथा ग्रेच्यूटी में जमां राशि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका पूजा नायक स्वयं





cf-u-






पूजा नायक सर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरवा वर्गे

को स्व 0 अमर नायक की पत्नी होना भी साबित नहीं कर सकी है । अतः जाँच बिन्दू क्रमांक 01 का निष्कर्ष **"नासाबित"** दिया जाता है ।

//जाँच बिन्द् क्रमांक-03 पर निष्कर्ष//

17- सुविधा की दृष्टि से जाँच बिन्दू क्रमांक 03 का निराकरण पहले किया जा रहा है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक स्वयं को स्व 0 अमर कुमार नायक की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी न बताते हुए यह साक्ष्य दी है कि वह मृतक स्व 0 अमर कुमार नायक की माँ है तथा उस पर आश्रित होकर एकमात्र उत्तराधिकारी है। अनावेदिका क्र.04 सुशीला शपथ पत्र पर यह कथन भी की है कि मृतक अमर नायक अपने सेवा अभिलेखों में नॉमिनी के रूप में माता सुशीला, छोटे भाई सूरज कुमार नायक तथा बहन पूनम का नाम दर्ज कराया है। सूरज कुमार नायक तथा पूनम बालिंग हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में स्व 0 अमर नायक की वह एकमात्र उत्तराधिकारी हैं तथा उसके अतिरिक्त स्व 0 अमर कुमार नायक के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं।

18- अपने दावा के समर्थन में अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा स्व 0 अमर नायक के सेवा अभिलेख प्रपी.01, कंपनी के रोल से पुत्र का नाम काटकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत् आवेदन प्रपी.02, कार्यालय के आदेश दिनांक 02.12.2021 प्रपी.03, टी०ए० भुगतान हेतु दिया गया आवेदन पत्र प्रपी.04, अमर कुमार नायक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपी.05, चिकित्सा व्यय राशि भुगतान हेतु आवेदन राशि प्रपी.06, एस०ई०सी०एल चरचा को दिया गया आवेदन प्रपी.07, आवेदिका पूजा नायक को








पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा वर्गैः

संबोधित प्रबंधक कार्मिक चरचा माईन्स का पत्र प्रपी.08, मृतक के भाई सूरज कुमार नायक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिया गया आवेदन प्रपी.09, 10 एवं 11 प्रस्तुत किया गया है।

19— अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों में से अमर नायक के सर्विस शीट प्रपी.01 से परिलक्षित होता है कि अमर नायक के परिवार के सदस्यों के रूप में अनावेदिका सुशीला नायक, सूरज कुमार नायक एवं पूनम के नाम उल्लेखित हैं तथा कोयला खान भविष्य निधि में नॉमिनी के रूप में अनावेदिका सुशीला नायक का नाम स्व 0 अमर कुमार नायक की माता के रूप में दर्ज है। स्व 0 अमर कुमार नायक के सर्विस शीट एवं सीएमपीएफ प्रपी.01 से प्रथम दृष्ट्या दर्शित होता है कि अनावेदिका सुशीला नायक स्व 0 अमर कुमार नायक की माता तथा नॉमिनी है। स्व 0 अमर कुमार नायक के माता तथा नॉमिनी है। स्व 0 अमर कुमार नायक के अन्य सदस्य सूरज एवं पूनम बालिग हो चुके हैं।

20— अनावेदिका सुशीला नायक प्रतिदावा प्रस्तुत की है तथा साक्ष्य दी है कि मृतक स्व 0 अमर कुमार नायक के स्वत्व की पी०एफ राशि 6,50,000/-रूपए एवं ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रूपए को प्राप्त करने की एकमात्र उत्तराधिकारी है। यह उल्लेखनीय है कि अनावेदिका सुशीला नायक द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति की गयी है कि आवेदिका पूजा नायक द्वारा सीएमपीएफ एवं ग्रेच्यूटी से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, परंतु स्वयं भी सक्षम प्राधिकारियों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। स्व 0 अमर कुमार



Of=4-







पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल चरचा वर्गः

नायक के सीएमपीएफ एवं ग्रेच्यूटी के मद में क्रमशः .6,50,000/-रूपए तथा 1,71,000/-रूपए जमा होने के संबंध में भी अनावेदिका सुशीला नायक भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की है और न ही जानकारी आहूत कराने हेतु कार्यवाही की है।

21- प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में स्व 0 अमर नायक के स्वत्वों की ग्रेच्यूटी राशि 1,71,535/-रूपए नियमानुसार सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय रायपुर के समक्ष जमा किया जा चुका होना अभिकथित किया गया है, परंतु सीएमपीएफ की राशि का कोई विवरण अनावेदक क्र.01 एवं 02 के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है । अनावेदक क्र.01 एवं 02 की ओर से परीक्षित साक्षी हीरा सिंह ने भी यह साक्ष्य दिया है कि स्व 0 अमर कुमार नायक के स्वत्वों की ग्रेच्यूटी की राशि सहायक श्रमायुक्त के समक्ष जमा कर दी गयी है तथा सीएमपीएफ की राशि सीएमपीएफ कार्यालय बिलासपुर में जमा की गयी है । अनावेदकगण क्र.01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं साक्षी हीरा सिंह के साक्ष्य से भी दस्तावेजी तौर पर यह पृष्टि नहीं होती है कि स्व 0 अमर कुमार नायक के सीएमपीएफ में कितनी राशि जमा है । प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.03 में साक्षी हीरा सिंह यह व्यक्त किया है कि मृत अमर कुमार नायक के पी०एफ की राशि लगभग 6,50,000/-रूपए होगी, जो कि संभावना है तथा निश्चित तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त राशि 6,50,000/-रूपए ही है । अनावेदकगण क्र.01 एवं 02 के जवाब से मात्र यह तथ्य दिर्शित होता है कि ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रूपए है जो सहायक श्रमायुक्त के







पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रांते क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल घरचा दगैः


कार्यालय में नियमानुसार जमा है, जिसे अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक प्राप्त करने की अधिकारिणी होना दर्शित होती है । अतः जाँच बिन्दू क्र.03 का निष्कर्ष अंशतः साबित दिया जाता है ।

15

//जाँच बिन्दू क्रमांक-02 सहायता एवं व्यय//

22- जाँच बिन्दु क्र.01 एवं क्र.03 के विश्लेषण में प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार आवेदिका पूजा नायक अपना प्रकरण साबित करने में असफल रही है तथा अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक अपना प्रकरण अशंतः साबित करने में सफल रही है । फलतः आवेदिका पूजा नायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अशंतः स्वीकार किया जाता है । न्यायालय फीस अधिनियम की अनुसूची-01 के संख्यांक 12 के अनुसार उक्त राशि 1,71,000/-रूपए पर 1,750/-रूपए तथा 50,000/-रूपए से अधिक की राशि 1,21,000/-रूपए पर 5 प्रतिशत अर्थात् 6,050/-रूपए कुल 7,800/-रूपए का न्यायशुल्क देय है । अतः अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा उक्त राशि 7,800/-रूपए(सात हजार आठ सौ रूपए) का न्यायशुल्क अदा किये जाने पर अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक के पक्ष में निम्नानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे:-

1- आवेदिका पूजा नायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।





ef-4-



पूजा नायक उर्फ काजल नायक प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एस०ई०सी०एल धरचा वर्गः

2- अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अशंतः स्वीकार किया जाता है । अनावेदिका क्र.04 सुशीला नायक, ग्रेच्यूटी की राशि 1,71,000/-रूपए जो सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में नियमानुसार जमा है, को प्राप्त करने की अधिकारिणी है ।

3- उभय पक्ष अपना-अपना आवेदन व्यय वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

(समीर कुजूर) (श्रमीर कुजूर) थम व्यावहार न्यायाधीश व्ररिष्ठ श्रेणी बैकुएवपुर कोरिया (छ०ग०) मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

प्रथम् विज्ञार प्रथम विहार चाँग्रीसीश वरिष्ठ श्रेणी बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ०ग०)

(2-16-16-12-2024 (2-17-72-74 (2-17-74-74 (2-17-72-74 (2-17-74-74

